

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/50424/SBL/SAMBHAL/301/CFO

दिनांक: 19-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SILVER STONE PUBLIC SCHOOL BAHJOI ROAD VILLAGE MAULAGARH CHANDAUSI** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **1207,BAHJOI ROAD VILLAGE MAULAGARH CHANDAUSI,CHANDAUSI** तहसील - **CHANDAUSI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	3	0	10.95 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8212.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SILVER STONE PUBLIC SCHOOL BAHJOI ROAD VILLAGE MAULAGARH CHANDAUSI** (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **24-05-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAPIL GUPTA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **25-05-2025** से **24-05-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : आवेदन पर अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो प्रश्रुत भवन को समसंख्यक यूआईडी न0 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। प्रश्रुत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखते हुए संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अर्ह अधिकर्ता स वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें। फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0धरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार नवीनीकरण निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9

25-05-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **25-05-2025**
स्थान : **SAMBHAL**

Note. - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.